–:आदेश:–

दिनांक–19.7.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53,188,92ए,209 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक चाही गई। निम्न वर्णित आराजीयात वाके ग्राम केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता सख्या (नया–पुराना)	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
2486–240	3940 9221/3940	0.1800 0.1600	बारानी 1 बारानी 1
	किता 2	रकबा 0.3400	
1035–1076	3939	0.3300	बारानी 1

वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की है। वाद वर्णित आराजीयात वर्तमान खसरा नम्बर 3940, 9221/3940 के पुराने सम्वत् 2058 में खसरा नम्बर 3940 व खसरा नम्बर 3040 रकबा 0.34 हैक्टर, 3939 रकबा 0.33 हैक्टर के पुराने खसरा नम्बर 4133 रकबा 04–03–10 बीघा है जो पुराने जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 में कल्याण वल्द बैजनाथ 1 हिस्सा, गोपी वल्द रामनाथ 1 हिस्सा दर्ज खातेदारी है। यानि बराबर बराबर हिस्सा दर्ज है। मृतक कल्याण पात्र बेजनाथ के वारिसान यानि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 का परिवार का पैतृक वंशावली है, वाद के पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 की पुश्तेनी संयुक्त खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 का संयुक्त 1/2 हिस्सा है। स्व० कल्याण के तीन पुत्र रामनारायण, बरदा व रंगलाल उर्फ रंगा थे तथा जमाबन्दी सम्वत 2016 से 2019 में राजस्व अधिकारियों की गलती से स्व. कल्याण पुत्र बेजनाथ का फोती नामान्तरकरण केवल उसके दो पुत्रों रामनारायण व रंगलाल उर्फ रंगा के नाम दर्ज कर दिया परन्तु प्रार्थी के दत्तक पिता स्व० बरदा पुत्र कल्याण का नाम दर्ज नहीं किया जबकि स्व० कल्याण की आराजीयात में उसके तीनों पुत्रों का बराबर बराबर हक हिस्सा अधिकार है । अतः वाद वर्णित आराजीयात में स्व० कल्याण का पुत्र रामनारायण का 1/6 हिस्सा, बरदा का 1/6 हिस्सा तथा रंगलाल उर्फ रंगा का 1/6 हिस्सा है तथा इसी प्रकार इनके वारिसान काबिज है। अतः राजस्व अधिकारियों की गलती से प्रार्थी के दत्तक पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं किया है तथा गलत फोती विरासत केवल रामनारायण व रंगलाल उर्फ रंगा के नाम दर्ज की है जो कतई गलत है जिससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं पडता है तथा प्रार्थी के हक अधिकार तक उक्त विरासत दर्ज करना कानूनी रूप से अवैध एवं शून्य तथा निष्प्रभावी है। प्रार्थी के पिता स्व० बरदा पुत्र कल्याण का वाद वर्णित आराजीयात में 1/6 हिस्सा है जो स्व० बरदा की मृत्यु के बाद उसकी वैद्य वारिस पत्नि केसरदेवी व दत्तक पुत्र प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा केसर देवी की मृत्यु के बाद प्रार्थी जो एकमात्र वैद्य वारिस है, के कब्जे काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है जिसमें प्रार्थी के अलावा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 का एवं दीगर व्यक्ति का कानूनन हक अधिकार नहीं है । अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 18 की नियत बद है तथा प्रार्थी को वाद वर्णित आराजीयात से उसके 1/6 हिस्सा खातेदारी से जबरन बैदखल करने एवं कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की दिनांक 10.03.2022 को धमकी दी एवं अप्रार्थी संख्या 17

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

व 18 ने धमकी दी कि वाद वर्णित आराजी जो कृषि भूमि है, में अवैध प्लाट काटकर बैचान करेंगे, हमने खरीद ली है जबरन बेदखल करेंगें, मेरे साथ अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 है । तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 को कहा तो उन्होने भी धमकी दी कि तेरे पिता स्व० बरदा का नाम रेकार्ड में नहीं है अत तुम्हारा किसी प्रकार का हिस्सा नही है। तब प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड की नकले दिनांक 15.03.2022 व पुराने राजस्व रेकार्ड की नकले दिनांक 30.03.2022 को ली तब जानकारी हुई कि राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 ने गलत एवं अवैध रिलीडीड द्वारा अप्रार्थी संख्या 15 के हक में खसरा नम्बर 3940 तथा खसरा 3939 का हक त्याग अप्रार्थी संख्या 14 के हक में गलत किया है । जबकि प्रार्थी भी वाद वर्णित आराजीयात में सह खातेदार है तथा अवैध व शून्य रिलीजडीड द्वारा अप्रार्थी संख्या 15 गलत व अवैध इन्द्राज के द्वारा अप्रार्थी संख्या 16 व अप्रार्थी संख्या 16 ने अप्रार्थी संख्या 13 को व अप्रार्थी संख्या 13 ने अप्रार्थी संख्या 17 को अवैध व शून्य बैचान खसरा नम्बर 3940 रकबा 01.8 हैक्टर व खसरा नम्बर 9221/3940 रकबा 0.16 हैक्टर को अप्रार्थी संख्या 16 ने अप्रार्थी संख्या 17 को अवैध व गैर कानूनी, शून्य, निष्प्रभावी बैचान कर दी जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 में अंकन हो रखा है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 3939 को अप्रार्थी संख्या 14 ने अप्रार्थी संख्या 18 को अवैध गैर कानूनी शुन्य निष्प्रभावी बैचान किया जो प्रार्थी के हक अधिकार की खातेदारी भूमि वाद वर्णित में प्रार्थी के पूर्वज बरदा का भी हिस्सा 1/6 था। उसका भी गलत अवैध रिलीजडीड द्वारा एवं अवैध विक्रयपत्रों द्वारा प्रार्थी को उसके 1/6 हिस्से की आराजीयात से अवैध गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से अन्तरण हस्तान्तरण किया है। अतः उक्त सभी रिलीजडीडे व विक्रयपत्र प्रार्थी के 1/6 हक हिस्से की आराजीयात तक कानून प्रारम्भतः अवैध व शून्य है। जिनका प्रार्थी के हक हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 17 व 18 का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है। अतः अवैध रिलीजडीडों का नामान्तकरण से 821 दिनांक दिनांक 14.04.2010 नामान्तकरण से 823 दिनांक 14.07.2010 व बैचान के नामान्तकरण से 2595 दिनांक [illegible]2013 नामान्तकरण से 2613 दिनांक 31.01.2013 व नामान्तकरण 4862 दिनांक 10.11.2021 व तत्पश्चात किये गये अवैध अन्तरण के इन्द्राज प्रार्थी के हक हिस्सें तक कतई अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी है। अतः प्रार्थी को वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थी के स्व० दत्तक पिता बरदा पुत्र श्री कल्याण का 1/6 हिस्सा है। अतः राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज को दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 द्वारा आपस में किये गये अवैध रिलीजडीडों के द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये गये नामान्तकरण एवं इनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 16, 17 व 18 को किये गये अवैध बैचान के नामान्तकरणों व अप्रार्थी संख्या 13 द्वारा अप्रार्थी संख्या 17 को किये गये अवैध बैचान के नामान्तकरण को एवं इनके आधार पर प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी पर किये गये अंकन को निष्प्रभावी व अवैध घोषित किया जाकर विलोपित किया जाना आवश्यक है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि प्रार्थी की पुश्तैनी वाद वर्णित आराजीयात में 1/6 हिस्से का बिना विभाजन अन्तरण हस्तान्तरण नहीं करे ना ही प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करे ना ही उक्त आराजी का भू खण्ड काटकर अवैध रूप से बैचान बिना भूमि रूपान्तरण के अप्रार्थी संख्या 17 व 18 करे तथा राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन नहीं करे इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः वादपत्र इन्द्राज दुरुस्त कर खातेदार काश्तकार प्रार्थी को 1/6 हिस्से का घोषित किय जावे एवं वाद वर्णित आराजीयात का बटवारा कर प्रार्थी को 1/6 हिस्सा नापचौप कर सम्भलाया जावे एवं राजस्व रेकार्ड का अलग अंकन किया जावे व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 18 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना लाजमी आया है। प्रार्थी को वाद वर्णित आराजीयात में 1/6 हिस्सा पुश्तैनी आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जाता है तथा प्रार्थी को बटवारा कर नहीं सम्भलाया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

लगायत 18 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा बहुवाद कार्यवाही होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रांकित नहीं किया जा सकता तथा अनेकानेक कठिनाईया उत्पन्न होगी। अतः प्रार्थी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं बटवारा कर नापचौप कर अलग राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाना एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 18 वाद वर्णित आराजीयात को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द अन्तरण व हस्तान्तरण बिना विभाजन के नहीं करे ना ही भू खण्ड काटकर आराजी को नष्ट नहीं करे तथा ना ही बैचान करे तथा राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन व परिवर्धन नहीं करे। इस हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है प्रार्थी का प्राईमा फेसाई केस है तथा वाद की सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी को नापूर्तियुक्त व अनिश्चितकालीन क्षति होगी तथा अनेकानेक कार्यवाहियों का सामना करना पड़ेगा । अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 18 स्वयं व इनके नौकर चाकर, हाली सिरी परिवार के सदस्यगण, ऐजेन्ट वगैरह को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी की पुश्तैनी वाद वर्णित आराजीयात में 1/6 हिस्से का बिना विभाजन अन्तरण हस्तान्तरण नहीं करे ना ही प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करे ना ही उक्त आराजी का भू खण्ड काटकर अवैध रूप से बैचान बिना भूमि रूपान्तरण के अप्रार्थी संख्या 17 व 18 को करे तथा राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन नहीं करे इस हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 18 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम व्यादेश बाबत सुना गया। प्रकरण मे कानूनी बिन्दू निहित होने से अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम व्यादेश से पाबन्द किया गया। तथा अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थी संख्या 17 व 18 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया व अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 2,3,8,11,13 की ओर से जवाब पेश किया व अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। शेष अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 17 व 18 की ओर से जवाब निम्नप्रकार प्रस्तुत किया:-

प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 1 में वर्णित कथन अस्वीकार है । प्रार्थीगण द्वारा झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है । प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 2 स्वीकार है । वाद वर्णित आराजी अप्रार्थी सं. 17 व 18 की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2012, 07.01.2013 व 05.02.2014 द्वारा क्रयशुदा आराजी है जो वर्तमान में अप्रार्थी सं. 17 व 18 की पूर्ण खातेदारी, कब्जे, काश्त, स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है । प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 3 जिस प्रकार से वर्णित है, गलत होने से अस्वीकार है। वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी, कब्जे,काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य की होने के कथन गलत व अस्वीकार है। प्रार्थी ने गलत फर्जी एवं झूठा सजरा बनाकर पेश किया है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से श्री बरदा का दत्तक पुत्र नहीं है। प्रार्थी द्वारा वर्णित गोद पुत्र संबंधित समस्त कथन गलत है, यदि ऐसा कोई दस्तावेज गोदनामा अस्तित्व में है तो वह भी अपने आप में गलत, अविधिक एवं शून्य दस्तावेज है। वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 में कल्याण वल्द वैजनाथ के नाम खातेदारी में दर्ज थी, जिसका विधिवत रूप से नामान्तकरण रामनारायण व रंगलाल के नाम पर दर्ज किया गया। श्री बरदा के कोई जायन्दा संतान नहीं थी । श्री बरदा ने अपने जीवनकाल में कभी भी किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं लिया था । प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाते हुए झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 4 अप्रार्थी सं. 17 व 18 से संबंधित नहीं है। प्रार्थी अपने कथन सुदृढ़ साक्ष्य से स्वयं सिद्ध करावें । प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 5 जिस प्रकार से वर्णित है गलत वर्णित होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने झूठे आरोप अंकित किये हैं। वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी, कब्जे, काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य की होने के कथन गलत व अस्वीकार है । वाद वर्णित

उपखण्ड अधिकारी (seal)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

आराजीयात विधिवत रूप से राजस्व रिकार्ड में रामनारायण व रंगलाल के नाम पर बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही थी । प्रार्थी किसी भी प्रकार से श्री बरदा का दत्तक पुत्र नहीं है। श्री बरदा ने अपने जीवनकाल मे किसी भी प्रकार से प्रार्थी को गोद नहीं लिया है। प्रार्थी का वाद वर्णित आराजी में किसी प्रकार का कोई हक, हिस्सा अधिकार नहीं है, ना ही कोई कब्जा, दखल है। वाद वर्णित आराजी विधिनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी सं. 17 व 18 के नाम पर दर्ज चली आ रही है । अप्रार्थी सं. 17 व 18 वाद वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है । प्रार्थी ने झूठे तथ्य अंकित कर झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 6 गलत वर्णित होने से अस्वीकार है प्रार्थी ने झूठे तथ्य अंकित किये हैं। वाद वर्णित आराजीयात से प्रार्थी एवं श्रीमती केसरदेवी का कोई लेना देना नहीं है ना ही कोई वास्ता व सरोकार है, ना ही कोई कब्जा दखल है। अप्रार्थी सं. 17 व 18 वाद वर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकार है और वास्तविक मालिक एवं स्वामी है। प्रार्थी ने झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 7 गलत वर्णित होने से अस्वीकार है । प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाते हुए झूठे, फर्जी, मनगढ़ंत व निराधार तथ्यों को अंकित करते हुए झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण ने झूठे आरोप अंकित किये हैं, दिनांक 10.03.2022 को अप्रार्थी स. 17 व 18 द्वारा धमकी देने के कथन सर्वदा झूठे, मनगढ़ंत व निराधार है। वाद, वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रामनारायण व श्री रंगलाल के नाम पर दर्ज थी तथा रामनारायण व रंगलाल की मृत्यु के उपरांत आराजीयात विधिवत रूप से उनके वारिसान के नाम पर दर्ज चली आ रही थी। जिसमें से अप्रार्थी सं 1 लगायत 13 ने वाद वर्णित आराजीयात खसरानं. 3940 के बावत् विधिवत रूप से जरिये रिलीज डीड अपना हिस्सा अप्रार्थी सं. 15 के हक में एवं खसरा नम्बर 3939 की रिलीज डीड अप्रार्थी सं. 14 के हक में रिलीज किया । अप्रार्थी सं. 17 ने खसरा नम्बर 3940 के सम्पूर्ण रकबे में से पूर्वी ओर का 0.16 हैक्टर हिस्सा श्रीमती सीमा पत्नी रामेश्वर जाट निवासी पंवालिया से दिनांक 15.02.2012 को एवं खसरा नं. 3940 के शेष रकबे 0.18 हैक्टर को श्री गंगाधर पुत्र श्री रंगलाल जाट निवासी केकड़ी से दिनांक 07.01.2013 को एवं अप्रार्थी सं. 18 ने आराजी खसरा नं. 3939 रकबा 0.33 हैक्टर को श्री रामेश्वर पुत्र श्रवण जाट निवासी केकड़ी से दिनांक 05.02.2014 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीदकर कब्जा प्राप्त किया। इमरोज क्रय से वर्णित आराजी अप्रार्थी सं. 17 व 18 के पूर्ण कब्जे, काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य में चली आ रही है, जिसमें प्रार्थी का कोई कब्जा, दखल नहीं है। आराजीयात का नामान्तकरण विधिवत रूप से अप्रार्थी सं. 17 व 18 के नाम पर दर्ज किया जा चुका है। अप्रार्थी सं. 17 व 18 वाद वर्णित आराजी के विधिवत खातेदार काश्तकार हैं, जिन्हें अपनी आराजी को हर प्रकार से उपयोग, उपभोग करने का पूर्ण विधिक हक अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी सं. 17 व 18 को उनकी खातेदारी की आराजी के उपयोग, उपभोग के अधिकार से वंचित करने का प्रार्थी को कोई विधिक हक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाकर झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 8 जिस प्रकार से वर्णित है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने झूठे आरोप अंकित किये हैं। प्रार्थी का वाद वर्णित आराजी में किसी प्रकार का कोई हक, हिस्सा अधिकार है, ना ही कोई कब्जा, दखल है। वाद वर्णित आराजी विधिनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी सं. 17 व 18 के नाम पर दर्ज चली आ रही है । अप्रार्थी सं. 17 व 18 वाद वर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की नीयत बद है तथा प्रार्थी अप्रार्थी सं. 17 व 18 की खातेदारी की आराजी को जबरन हड़पना चाहते हैं, इसी नीयत से यह प्रार्थना पत्र कतई झूठे, फर्जी, मनगढ़ंत एवं निराधार तथ्यों पर आधारित होकर प्रस्तुत किया खारिज होने योग्य है । प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 9 गलत वर्णित होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है तथा ना ही वाद की सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है । शेष प्रार्थी की प्रार्थना है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । प्रार्थी ने कतई गलत, झूठे, फर्जी, मनगढंत व निराधार तथ्य अंकित कर झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी सं 17 व 18 के कब्जे में चली आ रही वाद वर्णित

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

आराजीयात से प्रार्थीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 17 व 18 वद वर्णित आराजीयात के सद्भाविक क्रेता हैं, जिनके विरूद्ध इस प्रकार का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य है । माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से कानूनन चलने योग्य ना होकर खारिज होने योग्य है । अप्रार्थी 17 व 18 वाद वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है तथा कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कानूनन खारिज होने योग्य है।

प्रार्थीगण संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 2,3,8,11,13 की ओर से जवाब निम्न प्रकार है:–

प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 01 इतना ही स्वीकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया हैं, शेष कथन अस्वीकार हैं । प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 02 सही होने से स्वीकार हैं । प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 03 व 04 पारिवारिक सजरा की हद तक स्वीकार हैं । प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 05 वादी स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 06 गलत होने से अस्वीकार हैं, वादी स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 07, 08 व 09 गलत होने से अस्वीकार हैं । अतिरिक्त कथन प्रस्तुत करते हुये बताया अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण, संख्या 17 व 18 को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का बेचान राजस्व रिकार्ड के अनुसार किया था, जो कानूनन सही हैं। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण का नाम अंकन था और उसी के अनुसार बेचान किया गया था । प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डडाई नहीं है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कोर्ट चस्पा नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियांद बाहर होने से खारिज होने योग्य हैं । अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि उपरोक्त अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें ।

प्रार्थीगण संख्या–4 की ओर से जवाब निम्न प्रकार है:–

प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 1 इतना स्वीकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 2 सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 3 व 4 पारिवारिक राजरा की हद तक स्वीकार है प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 5 व 6 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी स्वयं सिद्व करे। प्रार्थना पत्र का पैरा रांख्या 7,8,9 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 10,11,12,13 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है अतिरिक्त कथन करते हुये बताया कि अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 17 व 18 को जो आराजी बेचान की है व राजस्व रिकोर्ड के अनुसार की थी। जो सही है न्यायालय को प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कोर्ट फीस चस्पा नही होने से व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है।

उभयपक्ष की योग्य अधिवक्तागण की बहस में **वादी अभिभाषक** ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दोहराया वादी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे न्यायिक उद्वरण प्रस्तुत कर बताया कि गोदनामे पर संदेह नही किया जा सकता है कानून मे प्रीशब्सन है जब तक चेलेंन्ज नही करे दावा पुश्तैनी कह आया है प्रेमाईफेस 1/6 हिस्सा बनता है मुझ वादी को अपूणीय क्षति होगी सुविधा का संतुलन भी मेरे पक्ष मे है अपने कथनो के समर्थन मे जो निम्न प्रकार उद्वरण प्रस्तुत किये जो निम्नानुसार है।

1. RBJ- 2015(22) हाजी रसीद अहमद बनाम मौहम्मद शफी
2. RRJ-2020(27) प्रेम बनाम जयपाल
3. RRD 1999 धीर सिंह बनाम अमर सिंह
4. RBJ 2016 मूल सिंह बनाम हणमान सिंह
5. RRT-2008(2) बशीधर बनाम हनुमान सिंह

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

6. RBJ- 1998(5) मनोहर लाल अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
7. RBJ-2004(11) साजन बनाम जमना
8. RRJ 2000 श्रीमति सुमित्रा बाई बनाम ब्रिज मोहन व अन्य
9. RBJ 2015(22) जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम भूरी देवी
10. RBJ 2009(16) मकबूल बनाम गनी

अप्रार्थीगण संख्या 17 व 18 के अधिवक्ता द्वारा बहस में अपने जवाब कथनों को दोहराया अप्रार्थी संख्या 17 व 18 के अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया कि वादी द्वारा के दो खसरो में ही 1/6 हिस्सा पर रिलीफ चाही गई जिनका बेचान हुआ बाकी खसरो में रिलीफ नही मांगी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा बताया गया पत्नी की मृत्यु 2018 मे हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता का नाम है पति के नाम में कोई दस्तावेज नही है मृत्यु प्रमाण पत्र किसी अन्य स्थान का बना है बरदा की मृत्यु कब हुई? गोदनामा मे पिता की अडोप्सन डेथ नही है माता की है एक महिला अपने विपरित लिगं वाले व्यक्ति को एडाप्ट नही ले सकती। वर्तमान मे केसर देवी बरदा की पत्नी नही है गोदनामा को ब्लड रिलेशन के रूप मे काउंट नही किया जा सकता है वादी का दावा मियाद बाहर है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उद्वरण का अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से खंडन कर बताया कि यह उद्वरण इस प्रकरण पर लागू नही होते अतः प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। बहस के तथ्यों से अप्रार्थीगण रिकोडेड खातेदार है एवं रजिस्टर्ड विकय से जमीन खरीदी है अप्रार्थीगण का केस मजबूत है और सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने से अपूर्तनीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner